



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-608 राँची, मंगलवार,

7 दिसम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2021

संख्या-5/आरोप-1-385/2014-180627(HRMS)--श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुण्डू के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6387, दिनांक 01.09.2009 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-451/गो०, दिनांक-05.08.2009 द्वारा नरेगा योजनाओं में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8154, दिनांक 16.12.2009 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-06, दिनांक 11.12.2010 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिस पर विभागीय पत्रांक-3481, दिनांक 24.06.2011 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-17(i)/गो०, दिनांक 17.01.2012 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक प्रतिवेदित किया गया ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-3571, दिनांक 12.04.2012 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय

कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री पंकज मिश्रा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०-सह-विभागीय जांच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं बाद में विभागीय संकल्प सं०-6504, दिनांक 19.05.2012 द्वारा श्रीमती शीला किस्कु रपाज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी श्रीमती रपाज के पत्रांक-344, दिनांक 10.10.2013 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक- 2920, दिनांक 24.03.2014 द्वारा उपायुक्त, राँची से श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों में सन्निहित सरकारी राशि की क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन की मांग की गई। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-181(i) दिनांक 14.08.2015 द्वारा 78.69 लाख रु० सरकारी राशि क्षति के प्रतिवेदन के आलोक में विभाग स्तर पर श्री कुमार के विरुद्ध पूरक प्रपत्र-‘क’ गठित कर विभागीय संकल्प सं०-3753, दिनांक 09.05.2016 द्वारा पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-119, दिनांक 13.04.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-430(HRMS), दिनांक 04.02.2019 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प सं०-18006(HRMS), दिनांक 01.11.2021 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन तथा उक्त नियमावली के नियम-14(vi) के तहत पाँच वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

श्री कुमार के पत्र, दिनांक 02.11.2021 द्वारा दण्ड अधिरोपण के पश्चात निलंबन से मुक्त का अनुरोध किया गया ।

श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत, निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(i) श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुण्डू, राँची, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है ।

(ii) निलंबन अवधि में श्री ललन कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु निलंबन अवधि पेंशनादि के लिए कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मान्य होगी ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	LALAN KUMAR (JHK/JAS/174)	श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुण्डू को निलंबन से मुक्त किया जाता है ।	26/11/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
